

**अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।**

पत्रांक :- 951 अनु0/मधुबनी। दिनांक :- 13/10/2025

प्रेषक,

ई0 मनोज कुमार
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

विषय:- संवेदक, श्री राजधर कुमार यादव द्वारा विभाग में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु समर्पित दावा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-2418 अनु0, दिनांक-21.12.2024
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडल अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक, श्री राजधर कुमार यादव के द्वारा विभाग में समर्पित दावा की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित GST समिति द्वारा को GST Claim के निष्पादन हेतु आहुत बैठक में GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co, Patna के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरांत निम्न विवरणी के कॉलम 4 में अंकित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	MMGSY-Gen अंतर्गत Construction of road and CD work from Konar Sampitam Lal Yadav ke ghar to Alpshankhyak Basti Road Agg. No.- 05 SBD/2023-24	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-4089 अनु0, दिनांक-30.08.2025	Rs. 01,61,501/-
2	MMGSY-Gen अंतर्गत Construction of road and CD work from Gadhiya Mahadalit Tola to Gadhiya Mahadalit Tola Road Agg. No.- 22 SBD/2023-24	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-4084 अनु0, दिनांक-30.08.2025	Rs. 05,13,143/-
3	MMGSY-W.B अंतर्गत Construction and Maintenance of road and CD work from PMGSY (Bhuvneshwar Yadav ke ghar) to Hariyari Road Agg. No.- 25 SBD/2021-22	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-4171 अनु0, दिनांक-01.09.2025	Rs. 79,881/-

अतः GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त विवरणी के कॉलम 4 में अंकित राशि के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया, तो उक्त सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन की राशि से समायोजित कर ली जाय।
3. कॉलम 03 में उल्लेखित विभागीय प्रासंगिक पत्र में वर्णित सभी कंडिकाओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वसभाजन

अधीक्षण अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।

